

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल -462004

क्रमांक एफ 16-19/2020/2/34

भोपाल दिनांक

27 MAR 2024

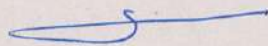
प्रति,

समस्त पदाभिहीत अधिकारी/(कार्यपालन यंत्री)
समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारी/(अधीक्षण यंत्री)
समस्त द्वितीय अपीलीय अधिकारी/(मुख्य अभियंता)
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश

विषय:- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की सेवा क्रमांक 3.4 "ग्रामीण जल प्रदाय योजना से औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल प्रदाय की अनुपलब्धता की एन. ओ.सी/अनुज्ञप्ति"।

संदर्भ:- लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-10/ 2020/लोसेप्र/इकसठ -1-पीएसजी -3
भोपाल दिनांक 12 अक्टूबर 2020 ।

- 1 सेवा का उद्देश्य- इस सेवा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जल प्रदाय योजना से औद्योगिक उपयोग हेतु जल प्रदाय की अनुपलब्धता की एनओसी/अनुज्ञप्ति प्रदान करना है।
- 2 पदाभिहीत अधिकारी एवं समय सीमा-इस सेवा के लिये पदाभिहीत अधिकारी (कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जिला मुख्यालय) होंगे। यह सेवा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 15 कार्य दिवस के अंदर दी जायेगी।
- 3 आवेदन - इस सेवा के लिए सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। ऑफलाइन माध्यम से कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल <https://services.mp.gov.in>, <https://invest.mp.gov.in> अथवा विभागीय पोर्टल www.mpphed.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है।
- 4 सेवा प्राप्त करने हेतु पात्रता की शर्तें-
औद्योगिक फर्म/संस्था/कंपनी आवेदन कर सकता है।
- 5 आवश्यक दस्तावेज:-
इस सेवा के लिए संबंधित संस्था के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज हैं।
- 6 पदाभिहीत अधिकारी को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
6.1 सेवा प्राप्त करने के लिये कंडिका -3 में बताये अनुसार ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पदाभिहीत अधिकारी (कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग) को प्रस्तुत किया जावेगा।

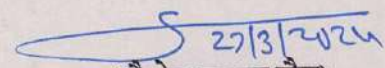


- 6.2 पोर्टल पर आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन प्रस्तुति की अभिस्वीकृति लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत संलग्न प्रारूप में ऑनलाइन दी जावेगी। (परिशिष्ट-1)
- 6.3 पोर्टल पर पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में ऑनलाइन पावती जनरेट होगी।
- 6.4 ऑनलाइन आवेदन के समय संबंधित औद्योगिक फर्म/संस्था/कंपनी द्वारा आवश्यक जल की मात्रा का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
- 6.5 आवेदन का पंजीयन लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली, प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम 16 में निर्धारित पंजी, में संलग्न परिशिष्ट-2 में किया जायेगा। एक ही आवेदन का पृथक-पृथक पंजियों में इन्द्राज आवश्यक नहीं होगा।
- 6.6 संबंधित पदाभिहीत अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर यथाशीघ्र परन्तु निर्धारित समय-सीमा के पूर्व आवेदन का निराकरण किया जाएगा।
- 6.7 मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा संचालित योजनाओं वाले क्षेत्रों से संबंधित आवेदन प्राप्त होने पर कार्यपालन यंत्री द्वारा संबंधित महाप्रबंधक जल निगम को अवगत कराया जायेगा। जल की उपलब्धता /अनुपलब्धता का प्रतिवेदन संबंधित क्षेत्र के महाप्रबंधक द्वारा संबंधित कार्यपालन यंत्री को निर्धारित समय सीमा के पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा।
- 6.8 आवेदन पत्र अस्वीकृत करने की स्थिति में भी सूचना कारण सहित पोर्टल पर ही आवेदक को दी जाएगी।
7. एमपीईसेवा (<https://services.mp.gov.in>) पोर्टल में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी-
- 7.1 आवेदक को आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराना होगा।
- 7.2 पोर्टल पर आवेदन करते समय आवेदक को मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. आवश्यक रूप से दर्ज किया जाए।
- 7.3 आवेदक ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्टआउट स्वयं निकाल कर रख सकता है।
- 7.4 ऑनलाइन आवेदन जमा होने के साथ ही साफ्टवेयर से आवेदन की पावती तैयार होगी। पूर्ण आवेदन जमा होने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय-सीमा साफ्टवेयर द्वारा अंकित होगी। अपूर्ण आवेदन की स्थिति में छूटे गये दस्तावेजों का उल्लेख होगा।
- 7.5 एमपीईसेवा पोर्टल पर आवेदन की ऑनलाइन पावती जमा होते ही आवेदन संबंधित पदाभिहीत अधिकारी के एकाउन्ट में ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा एवं संबंधित अधिकारी को एसएमएस के माध्यम से सूचना प्राप्त हो जायेगी।
- 7.6 सेवा प्रदाय करने के लिए सेवा प्रदाय संबंधी प्रमाण-पत्र पर डिजिटली हस्ताक्षर होंगे। एमपीईसेवा पोर्टल पर पदाभिहीत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी प्रमाण-पत्र को पोर्टल से आवेदक स्वयं डाउनलोड कर प्रिन्टआउट निकाल सकेगा। पदाभिहीत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की हार्डप्रति आवेदक को उपलब्ध नहीं कराई जावेगी। प्रमाण-पत्र जारी होने की सूचना आवेदक को एसएमएस अलर्ट के माध्यम से प्रदान होगी अथवा निर्धारित समय सीमा में आवेदक पोर्टल के माध्यम से प्रदान प्राप्त कर सकता है।

- 7.7 यदि पदाभिहीत अधिकारी यह पाता है कि कतिपय कारणों से एनओसी जारी किया जाना संभव नहीं है तो वह लिखित में कारण दर्शाते हुए आवेदन पत्र निरस्त करेगा एवं इसकी सूचना ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से आवेदक को डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से देगा।
- 7.8 यदि पदाभिहीत अधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा में सेवा प्रदाय में विलंब का युक्ति युक्त कारण दर्शाते हुये आवेदन पत्र का निराकरण नहीं किया जाता है तो आवेदन पत्र डीमड अप्रूवल के तहत एन.ओ.सी. प्रमाण- पत्र, सिस्टम जनरेटेड जारी हो जाएगा।
- 7.9 यदि पदाभिहीत अधिकारी डीमड अप्रूवल के तहत जारी प्रमाण-पत्र के संबंध में भविष्य में यह पाता है कि उक्त प्रमाण पत्र गलत तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किया गया है तो उसे वह निरस्त कर सकेगा।
- 8- शुल्क- इस सेवा को प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।
- 9- अपील- आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा।
1. आवेदक का आवेदन पत्र अमान्य किये जाने पर
अथवा
 2. आवेदन का निराकरण समय-सीमा में न होने पर।

अपील निम्नानुसार की जा सकेंगी-(अपील पोर्टल के माध्यम से ही की जा सकेंगी)

1. प्रथम अपील- पदाभिहीत अधिकारी के किसी भी आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील संबंधित खण्ड के मंडल अधीक्षण यंत्री को प्रस्तुत किया जावेगा। प्रथम अपीलीय अधिकारी 07 कार्य दिवस में अपील का निराकरण करेगा।
2. द्वितीय अपील- प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील खण्ड के संबंधित परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता को प्रस्तुत की जाएगी।
10. अन्य – उक्त सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा 15 कार्य दिवस निर्धारित है परंतु यथा संभव यह प्रयास किया जावे कि आवेदन प्राप्त होने के तत्काल बाद सेवा उपलब्ध करा दी जाए। समय-सीमा के अंतिम दिवस का यथा संभव इंतजार न किया जाए।



(शैलेश कुमार जैन)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

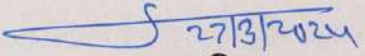
पृष्ठांकन क्रमांक एफ 16-19/2020/2/34

भोपाल दिनांक-27 MAR 2024

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल।
2. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, जेल रोड, भोपाल।

3. परियोजना निदेशक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, जेल रोड, भोपाल।
4. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र- भोपाल/वि.यां भोपाल / इंदौर / जबलपुर / ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
7. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश।
8. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश।
9. समस्त महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्यादित, मध्यप्रदेश।
10. प्रभारी एमआईएस, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की ओर लेख है कि उक्त परिपत्र विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।



अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 नियम 5 (1) के अंतर्गत अभिस्वीकृति का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का.....
नाम एवं पता

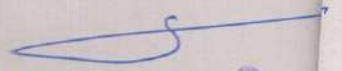
1. आवेदक का नाम एवं पता
.....
2. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय
में आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....
3. सेवा का नाम जिसके लिये
आवेदन दिया गया है
4. वह जानकारी जो सेवा प्राप्त
करने के लिये आवश्यक है
किन्तु आवेदन के साथ उल्लेखित
नहीं है
5. निश्चित की गई समय-सीमा की
आखिरी तारीख

स्थान

दिनांक

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम (मुद्रा सहित)


अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 388]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 12 अक्टूबर 2020—आश्विन 20, शक 1942

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2020

क्र. एफ-2-10-2020-लोसेप्र-इकसठ-1-पी.एस.जी.-3.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएँ, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की सेवा:—

सेवा क्र.	सेवाएँ	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.4	ग्रामीण जल प्रदाय योजना से औद्योगिक उपयोग हेतु जल प्रदाय की अनुपलब्धता की एन. ओ. सी./अनुज्ञप्ति.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस	अधीक्षण यंत्री	07 कार्य दिवस	मुख्य अभियंता

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रिपुदमन सिंह भदौरिया, उपसचिव.